

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं एवं 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों (Candidates) के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन (Certificate Verification) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना, पुराना सचिवालय के सभा कक्ष में करने हेतु दिनांक 12.03.2024 (मंगलवार) को अपराह्न 02:00 बजे से तिथि निर्धारित की जाती है :-

क्र. सं.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	मेधा क्रमांक	सत्यापन की तिथि	बैच
1	2	3	4	5	6
1	273628	सुश्री अदिति कुमारी	31	12.03.2024 (मंगलवार)	68वीं
2	258122	श्री नीतीश पाठक	36		
3	482078	श्री अंकित कुमार	40		
4	496390	श्रीमती रीमा शर्मा	44		
5	195080	श्री विकास सिंह	45		
6	108521	श्री आदर्श कुमार नन्दा	321		
7	378493	श्री कुमार देवव्रत	326	12.03.2024 (मंगलवार)	67वीं
8	647469	श्रीमती अंजना कुमारी	226		
9	701088	श्री भावेश कुमार तिवारी	344		
10	334030	सुश्री श्रीया सलोनी	850		

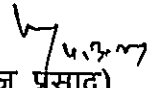
अभ्यर्थियों को ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थिता तथा प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को अपराह्न 01:00 बजे ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय), पुराना सचिवालय में उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है ।

प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा छाया प्रतियों के तीन-तीन स्वःअभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे:-

- (i) मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र ।
- (ii) इन्टरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र ।
- (iii) अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो ।
- (iv) अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी/नियोजित हों तो नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) ।

- (v) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग/ SC & ST हेतु) ।
- (vi) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ BC & EBC हेतु) ।
- (vii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ EWS हेतु)
- (viii) भू0पू0सै0 (EXSM)/ विकलांग वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र जो भारत सरकार/ बिहार सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर, केन्द्र सरकार/ बिहार सरकार की सूची अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो एवं प्रमाण पत्र सत्यापन के दिन मान्य हो ।
- (ix) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।
- (x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र (Character Certificate) की मूल प्रति।
- (xi) अद्यतन पासपोर्ट साईज का पांच फोटो ।
- (xii) कोई फोटोयुक्त दस्तावेज/पहचान पत्र, जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित करें (Any Identity Card, Aadhar Card/Voter ID Card/ Driving Licence/ Passport etc)
- (xiii) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) ।
- (xiv) चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र की तीन मूल प्रति, जो विभागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/rdd> पर उपलब्ध है ।

- नोट:- (1) कृपया लिखित अनुदेश ध्यान पूर्वक पढ़ें । अगर अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों के साथ इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए तो अभ्यर्थी के अभ्यर्थिता के विरुद्ध विधि सम्मत निर्णय लिये जायेंगे ।
- (2) कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा ।
- (3) कृपया अन्य कोई जानकारी के लिए ग्रामीण विकास विभाग के श्रीमती मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव के मोबाईल नं0-9431071977 एवं श्री विनय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-अधिसूचित उप सचिव के मोबाईल नं0-9471007148 पर संपर्क कर सकते हैं ।

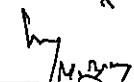

 (मन्जु प्रसाद)
 संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 262/537

दिनांक:- 04/03/2024

ग्रा0वि0-3/स्था0-01-135/2024

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।


 संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- १६४/५३१

दिनांक:- ०५/०३/२०२५

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, आई०टी० मैनेजर; ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना
(विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ)/ सभी संबंधित अनुशंसित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


संयुक्त सचिव